उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 17.11.2025 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 17.11.2025 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में आरंभ हुई। बैठक में निम्नवत पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1.	प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी कुलपति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	श्री व्योमकेश दुबे उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन)।	सदस्य (ऑनलाइन)
3.	श्रीमती अनीता आर्य वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन)।	सदस्य
4.	श्रीमती योजना रावत, निदेशक, शोध, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी (सदस्य कार्यपरिषद)।	सदस्य (ऑनलाइन)
5.	श्री सूर्य प्रताप सिंह वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
6.	डॉ0 खेमराज भट्ट कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सर्वप्रथम सचिव, वित्त समिति द्वारा बैठक प्रारम्भ करने के लिए अध्यक्ष महोदय (कुलपति जी) की अनुमति उपरान्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय के साथ स्वागत किया गया। सचिव, वित्त समिति के द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया–कलापों एवं अन्य संगत गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात 20वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के साथ ही वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार 14 प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त अधोलिखित निर्णय लिए गए।

मद संख्या 20.01– वित्त समिति की 19वीं बैठक, दिनांक 19.03.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 19.03.2025 को संपन्न वित्त समिति की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– UOU/Fin/2025/1407, दिनांक– 22.03.2025, पत्र संख्या– UOU/Fin/2025/1408, दिनांक– 22.03.2025 एवं पत्र संख्या– UOU/Fin/2025/1409, दिनांक– 22.03.2025 के द्वारा प्रेषित किया गया था, जिस पर कोई भी संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उक्त पर विचार करते हुए वित्त समिति की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।*

मद संख्या 20.02– वित्त समिति की 19वीं बैठक, दिनांक 19.03.2025 में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रस्ताव संख्या	वित्त समिति का अनुमोदन	कृत कार्यवाही की सूचना
19.01	वित्त समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 21.08.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि हो चुकी है।
19.02	वित्त समिति की 18वी बैठक, दिनांक 21.08.2024 में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही।	पूर्व में अवगत करा दिया गया है।
19.03	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 का पुनरीक्षित आय–व्यय विवरण।	कार्यवाही पूर्ण।
19.04	वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु आय–व्ययक पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
19.05	विश्वविद्यालय कार्यों हेतु स्वयं के वाहन से यात्रा करने के नियमों में शिथिलीकरण किये जाने पर विचार।	कार्यवाही गतिमान है।
19.06	वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 1/279087/XXVII(7)/2025/E-71609, दिनांक 04.03.2025 के द्वारा लागू शासकीय दायित्वों के निर्वहन हेतु समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य किए जाने पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
19.07	वित्त अनुभाग (अनुभाग–7), उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–18/XXVII(7)/1850(14)/2017, दिनांक 23.01.2019 के द्वारा लागू यात्रा स्थानान्तरण नियमों व दरों का विश्वविद्यालय में अंगीकरण।	कार्यवाही गतिमान है।
19.08	परीक्षा समिति की 19वीं बैठक, दिनांक 18.02.2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

19.09	शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ को उच्च शैक्षिक योग्यता हेतु प्रवेश स्तर पर गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
19.10	सहायक प्राध्यापक (ए.सी.) को दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से मानदेय वृद्धि का एरियर दिये जाने संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
19.11	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध एवं नवाचार केन्द्र (Education, Research and Innovation Centre) की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर विचार।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
19.12	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून हेतु निर्माण कार्यों के प्रस्ताव पर विचार।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
19.13	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में पार्किंग निर्माण के प्रस्ताव पर विचार।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
19.14	विश्वविद्यालय निधि के उचित प्रबंधन हेतु प्रस्ताव पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
19.16	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव–**	
	(क) वीडियो एडिटर और कैमरामैन के मानदेय वृद्धि पर विचार।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	(ख) श्री विनोद कुमार बिरखानी एवं अन्य प्रशासनिक परामर्शदाताओं के मानदेय में वृद्धि एवं एकरूपता लाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	(ग) विशेष श्रेणी के कार्यक्रमों (कौशल पाठ्यक्रम) के लिए प्राप्त शुल्क में से अध्ययन केन्द्र के अंश के वितरण का प्रस्ताव।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	(घ) विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों को परीक्षा कार्यों हेतु दी जाने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि की दरों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
	(ड़) बी0एड0 (विशेष शिक्षा) के अध्ययन केन्द्र में पाठ योजना पर्यवेक्षण/मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार।	कार्यवाही पूर्ण।
	(च) विश्वविद्यालय सभागार में फर्नीचर आदि की व्यवस्था व सुचारू रूप से संचालन के लिए कार्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर विचार।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्णयः– *सचिव, वित्त समिति द्वारा वित्त समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 21.08.2024 में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराया गया। समिति द्वारा कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 19.05 के संबंध में निर्णय लिया गया कि स्वयं एवं अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड वाहन उपयोग करने पर यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा **RC** *की प्रमाणित प्रति देते हुए यात्रा का प्रमाणन किया जाता है तो नियमानुसार निर्धारित दरों पर भुगतान देय होगा।*

प्रस्ताव संख्या 19.07 के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि स्थानांतरण पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित नियमों/मानकों/दरों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी स्थानांतरण भत्ता देय होगा।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी.

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 20.03 – विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन टाइप – 3 एवं टाइप – 4 आवासों के लिए अवशेष धनराशि को विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोतों से भुगतान करने पर विचार।

शासनादेश संख्या–425/XXIV-C-1/2023-04(07)/2019, दिनांक–05.07.2023 एवं 288/XXIV-C-1/2024-04(07)/2019, दिनांक–15.03.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन टाइप 3 एवं टाइप 4 आवासों के लिए शासन से पूर्व में स्वीकृत धनराशि रुपये 681.20 लाख में से रुपये 378.45 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। रूपये 302.75 लाख की अवशेष धनराशि वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में शासन से बजट की मांग की गई है, परंतु अब तक शासन द्वारा बजट आवंटन नहीं किया गया है। शासन द्वारा पत्र संख्या–331238/XXIV-C-1/2025-04(7)/2019(E-37867), दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त मद में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। बजट के अभाव में उक्त निर्माण कार्य विलंबित होने की संभावना है।

अतः प्रस्तावित निर्माण को समय से पूरा कराने एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों को आवास उपलब्ध कराने हेतु शासन से धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में अवशेष धनराशि को विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोतों से भुगतान किये जाने पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि भविष्य में किसी निर्माणाधीन परियोजना पर अतिरिक्त/शेष धनराशि का भुगतान वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदन के उपरांत किया जा सकेगा ताकि निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूर्ण किया जा सके। ऐसी समस्त स्वीकृतियों को वित्त समिति में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से पुनर्विनियोग के माध्यम से अवशेष धनराशि आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को पुनः प्रेषित करने का निर्णय लिया ताकि निर्माण कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। शासन से धनराशि उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्तानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।*

मद संख्या 20.04– एम. पी. डी. डी. अनुभाग एवं विभिन्न अध्ययन केन्द्रों में पुरानी निष्प्रयोज्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के संबंध में कृत कार्यवाही पर संज्ञानार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

एम.पी.डी.डी. अनुभाग एवं विभिन्न अध्ययन केन्द्रों में विगत वर्षों में शिक्षार्थियों को वितरित की जाने वाली पुस्तकें दीर्घ अवधि से भंडारित है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण उक्त पुस्तकें अब विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों में वितरण योग्य नहीं रही हैं तथा भंडारण स्थान का भी अभाव उत्पन्न हो रहा है। इन पुस्तकों की वर्तमान में वि0वि0 के लिए कोई उपयोगिता नहीं है तथा लंबे समय तक भंडारण से पुस्तकों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

एम.पी.डी.डी. अनुभाग द्वारा ऐसी पुस्तकों को "निष्प्रयोज्य" घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है तथा इन्हें शैक्षणिक एवं सामाजिक हित में विभिन्न शिक्षण केन्द्रों, महाविद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों, पुस्तक मेलों आदि में इच्छुक छात्रों एवं अन्य पाठकों को निःशुल्क वितरण किए जाने का प्रस्ताव है। निःशुल्क वितरण से ये पुस्तकें पुनः शैक्षणिक उपयोग में लाई जा सकेंगी तथा इस प्रक्रिया से भंडारण स्थान का भी समुचित उपयोग हो सकेगा।

प्रस्ताव पर कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति एवं कार्य परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष संज्ञानार्थ, विचारार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से उपरोक्त निर्णय की सराहना करते हुए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।*

मद संख्या 20.05– विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र समिति की सदस्यता हेतु सदस्यता शुल्क लिये जाने की प्रक्रिया पर विचार।

विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र समिति का इस वर्ष नवीनीकरण किया गया है। पूर्व वर्षों में पूर्व छात्र समिति की सदस्यता के लिए शुल्क निर्धारित नहीं था। विश्वविद्यालयों की नैक ग्रेडिंग में पूर्व छात्र समिति के सक्रिय कार्यकलापों हेतु अंक निर्धारित किए गए हैं। समिति के विभिन्न कार्यकलापों हेतु आवश्यक धनराशि पूर्व छात्रों द्वारा जमा किए गए सदस्यता शुल्क से प्राप्त की जाती है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अगला नैक मूल्यांकन वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। अतः विश्वविद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों से पूर्व छात्र समिति की सदस्यता हेतु सदस्यता शुल्क रुपये 100 प्रति छात्र निर्धारित किया गया है जिसे अंतिम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम शुल्क/परीक्षा शुल्क के साथ अथवा उपाधि प्राप्ति करने के समय जमा किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्राप्त राशि को वित्त विभाग द्वारा प्रतिमाह पूर्व छात्र समिति के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, (उत्तराखण्ड)

सदस्यता शुल्क विद्यार्थी से केवल एक बार ही लिया जाएगा। यदि आर्थिक रूप से संपन्न कोई छात्र पूर्व छात्र समिति को अतिरिक्त राशि दान स्वरूप प्रदान करना चाहता है तो यह राशि केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएगी।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।*

मद संख्या 20.06– विश्वविद्यालय की निधियों के प्रबंधन के संबंध में नीति निर्धारण पर विचार।

विश्वविद्यालय की विभिन्न निधियों के प्रबंधन हेतु निम्नानुसार नीति प्रस्तावित है–

- राज्य सरकार से प्राप्त समस्त धनराशि को राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में ही रखा जाएगा।
- विश्वविद्यालय की निधि से समय–समय पर वार्षिक सावधि जमा के रूप में विभिन्न बैंकों में निवेश किया जाएगा।
- पूर्व वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक जमा राशि (Total Deposits) के आधार पर देश के शीर्ष 10 बैंकों में से 5 बैंकों का चयन कोटेशन आमंत्रित करते हुए सर्वाधिक ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा।
- इस तरह एक ही बैंक में समस्त सावधि जमा धनराशि न होने से किसी भी तरह की अपरिहार्य स्थिति में जोखिम न्यूनतम हो सकेगी।
- इस प्रकार चयनित 5 बैंकों में विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध धनराशि सावधि जमा के रूप में समान भागों में जमा की जाएगी।
- प्रतिवर्ष उपलब्ध निधियों की समीक्षा करते हुए उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही एक वर्ष के लिए सावधि जमा की जाएगी।
- इन सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज को संलग्न व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय के एक पृथक् खाते में जमा किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय न होने पर सावधि जमा के रूप में निवेश किए जाने पर विचार किया जाएगा।
- वित्त नियंत्रक इस संबंध में समय–समय पर समीक्षा कर कुलपति महोदय के अनुमोदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने विश्वविद्यालय की सावधि जमाओं के संबंध में उक्त नीति को अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन द्वारा वित्तीय प्रबंधन के संबंध में सचिव, उच्च शिक्षा से वार्ता करते हुए शासन द्वारा इस संबंध में निर्धारित की जाने वाली नीति के अनुसार कार्य किए जाने का सुझाव दिया ।*

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 20.07– कौशल आधारित कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त शुल्क में से अध्ययन केन्द्रों के **अंश वितरण पर विचार ।**

वर्तमान में व्यावसायिक, विज्ञान एवं प्रयोगशाला आधारित कार्यक्रम संचालित करने वाले अध्ययन केंद्र को कार्यक्रम शुल्क का 25 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है।

कौशल कार्यक्रम संचालन तंत्र की मुख्य विशेषताऐं हैं:–

➢ **संपर्क घंटों में वृद्धि–** कौशल–आधारित कार्यक्रमों में, प्रत्येक क्रेडिट में 30 घंटे की काउंसलिंग प्रशिक्षण प्रयोगशाला व्यक्तिगत कक्षाएं शामिल होती हैं, जबकि पारंपरिक यूजी कार्यक्रमों में प्रति क्रेडिट संपर्क सत्र में केवल 3 घंटे की आवश्यकता होती है।

➢ **उच्च निर्देशात्मक भार–** NSQF संरेखित 20 क्रेडिट कौशल आधारित कार्यक्रम (एक सेमेस्टर के समरूप) के लिए 600 घंटे के निर्देशात्मक संपर्क की आवश्यकता होती है ।

➢ **बुनियादी ढांचे की लागत–** पारंपरिक पाठ्यक्रमों के विपरीत, कौशल आधारित कार्यक्रमों के लिए एलएसएसी में विशेष प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता होती हैं ।

➢ **स्वनिर्देशात्मक शिक्षण सामग्री (SILM) पर बचत–** कौशल–आधारित कार्यक्रमों के लिए स्वनिर्देशात्मक शिक्षण सामग्री (SILM) प्रदान नहीं किए जाते हैं, इसलिए (SILM) के मुद्रण और विकास के मामले में विश्वविद्यालय के लिए लागत बचत होती है।

यह प्रस्तावित है कि NSQF संरेखित कौशल आधारित कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले LSCs को कार्यक्रम शुल्क का 50 प्रतिशत हिस्सा (अवसंरचना, प्रशिक्षण वितरण, छात्र सहायता सेवाएँ, कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले डोमेन विशेषज्ञों के परिश्रमिक आदि पर व्यय हेतु) प्राप्त होगा एवं विश्वविद्यालय को कार्यक्रम शुल्क का 50 प्रतिशत (प्रशासनिक व्यय, प्रचार गतिविधियां, तकनीकी सहायता, पाठ्यक्रम निगरानी और अप्रत्याशित व्यय हेतु) दिया जाए ।

विशेष श्रेणी के कार्यक्रमों (कौशल पाठ्यक्रम) के संदर्भ में मूल्यांकन व्यय परीक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के मामले में इसे वास्तविक आधार पर शुल्क शीर्ष ''मूल्यांकन परीक्षा शुल्क'' से मूल्यांकन एजेंसी को हस्तांतरित किया जाएगा। वर्तमान में कौशल पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन शुल्क 1000 रुपए है। विभिन्न NSQF संरेखित कौशल पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन शुल्क भिन्न–भिन्न हो सकता है, जिसका निर्धारण शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से **LSCs** को कार्यक्रम शुल्क का 40 प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की संस्तुति प्रदान की।*

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

मद संख्या 20.08– विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय संबंध इकाई हेतु नया बजट शीर्षक बनाते हुए बजट आवंटित किए जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय संबंध इकाई के गठन को 30 सितंबर 2024 को आयोजित कार्यपरिषद की 41 वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस इकाई के संचालन से विश्वविद्यालय की वैश्विक भागीदारी, शैक्षणिक सहयोग तथा अकादमिक उत्कृष्टता को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

वर्तमान में विश्वविद्यालय एशियाई विकास बैंक के सहयोग से Institutional Development Plan (IDP) का विकास कर रहा है जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध एक प्रमुख घटक के रूप में सम्मिलित है।

यह प्रस्तावित है कि इस इकाई को आवश्यक कार्य संचालन हेतु बजट आवंटन के लिए नया बजट शीर्षक बनाते हुए वर्तमान में मांग अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु बजट आवंटन किया जाए।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु रुपये 04 लाख का बजट आवंटन स्वीकृत किया।*

मद संख्या 20.09– विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड की आठवीं बैठक दिनांक 13.10.2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।

विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड की आठवीं बैठक, दिनांक 13.10.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों को योजना बोर्ड द्वारा वित्त समिति के विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु अग्रसारित किया गया है। योजना बोर्ड की संस्तुतियाँ संलग्न है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से योजना बोर्ड की संस्तुतियों को सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए योजना बोर्ड के प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं औचित्य के साथ वित्त समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की संस्तुति दी।*

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 20.10– **विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बीसवीं बैठक, दिनांक 14.10.2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।**

विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बीसवीं बैठक, दिनांक 14.10.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों को परीक्षा समिति द्वारा वित्त समिति के विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु अग्रसारित किया है। परीक्षा समिति की संस्तुतियाँ संलग्न है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया।*

मद संख्या 20.11– **विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की छठवीं बैठक, दिनांक 28.10.2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।**

विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की छठवीं बैठक, दिनांक 28.10.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों को प्रवेश समिति द्वारा वित्त समिति के विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु अग्रसारित किया है। प्रवेश समिति की संस्तुतियाँ संलग्न है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से प्रवेश समिति के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया।*

मद संख्या 20.12– **विश्वविद्यालय के मान्यता बोर्ड की दसवीं बैठक, दिनांक 28.10.2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।**

विश्वविद्यालय के मान्यता बोर्ड की दसवीं बैठक, दिनांक 28.10.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों को मान्यता बोर्ड द्वारा वित्त समिति के विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु अग्रसारित किया गया है। मान्यता बोर्ड की संस्तुतियाँ संलग्न है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने मान्यता बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 10.14(1) की विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा किए जाने की संस्तुति की। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव संख्या 10.14(2) के संबंध में नवीन अध्ययन केन्द्रों हेतु रुपये 01 लाख की सीमा के अंतर्गत ही मात्र एक बार कुलपति महोदय के अनुमोदन से कंप्यूटर, सहायक उपकरण एवं आधारभूत फर्नीचर के लिए अनुमति देते हुए अन्य प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।*

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 20.13– विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 33वीं बैठक, दिनांक 10.11.2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 33वीं बैठक, दिनांक 10.11.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें लिए गए वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों को विद्या परिषद द्वारा वित्त समिति के विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु अग्रसारित किया गया है। विद्या परिषद की संस्तुतियाँ संलग्न है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– *समिति ने विद्या परिषद के शोध प्रोत्साहन संबंधी प्रस्तावों के संबंध में शासन स्तर पर वर्तमान में प्रचलित शोध प्रोत्साहन योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इन्हें लागू करने तथा शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर रुपए 01 करोड़ का कोष बनाने हेतु सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की।*

मद संख्या 20.14– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव–

मद संख्या 20.14.01 – उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के शोध और नवाचार निदेशालय द्वारा संकाय सदस्यों को लघु अनुसंधान योजना आरंभ करने के लिए निर्मित मानक संचालन प्रक्रिया पर विचार –

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के शोध और नवाचार निदेशालय द्वारा संकाय सदस्यों को विश्वविद्यालय की आंतरिक शोध प्रोत्साहन रणनीति के भाग के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा वित्तपोषित लघु अनुसंधान योजनाएं आरंभ करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्मित की गई है। **(प्रति संलग्न)**

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से मद संख्या 20.13 के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के आलोक में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इन्हें कार्यपरिषद में प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की।*

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला

मद संख्या 20.14.02 – उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित ''उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना'' लागू किए जाने पर विचार –

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त विषयों के स्थायी एवं अस्थायी प्राध्यापकों को अपने शोध कार्यों को उच्च गुणवत्तापरक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने हेतु 01 जनवरी 2026 से **''उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना''** लागू किया जाना प्रस्तावित है। **(संलग्न विवरणानुसार)**

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से मद संख्या 20.13 के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के आलोक में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इन्हें कार्यपरिषद में प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की।*

मद संख्या 20.14.03 – उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शोध छात्रों हेतु निर्मित ''फैलोशिप अवार्ड नीति'' लागू किए जाने पर विचार –

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन संकायों से मेरिट आधार पर प्रत्येक विद्याशाखा से अधिकतम 01 शोध छात्र का चयन करते हुए कुल 14 फेलोशिप प्रतिमाह रुपये 5000 प्रति शोध छात्र 24 माह की अवधि के लिए दिया जाना प्रस्तावित है। **(संलग्न विवरणानुसार)**

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से मद संख्या 20.13 के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के आलोक में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इन्हें कार्यपरिषद में प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की।*

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी.

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 20.14.04 –उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में समाहित सेमिनार के संबंध में पारिश्रमिक भुगतान हेतु दरें निर्धारित किए जाने पर विचार –

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में समाहित सेमिनार के संबंध में पारिश्रमिक भुगतान हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है –

पाठ्यक्रम का नाम/ क्रेडिट	**कार्य**	**प्रस्तावित पारिश्रमिक दर**
अकादमिक सेमिनार/ क्रेडिट– 04	शोध पत्र रिपोर्ट मूल्यांकन	रुपये 200 प्रति रिपोर्ट
	समन्वयक को मानदेय	रुपये 20 प्रति छात्र या न्यूनतम 1000 प्रतिदिन
	मॉडरेटर को मानदेय	रुपये 15 प्रति छात्र या न्यूनतम 800 प्रतिदिन
	मौखिक परीक्षा पारिश्रमिक– (आंतरिक विशेषज्ञ)	रुपये 100 प्रति छात्र
	मौखिक परीक्षा पारिश्रमिक– (बाह्य विशेषज्ञ)	रुपये 100 प्रति छात्र

उक्त पारिश्रमिक का भुगतान छात्रों से प्राप्त सेमिनार शुल्क में से ही किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय पर इस संबंध में अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा ।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।*

मद संख्या 20.14.05 – क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वीकृत इम्प्रेस्ट धनराशि बढ़ाने पर विचार–

विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को पूर्व में स्वीकृत इम्प्रेस्ट धनराशि को वित्त समिति की 17वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 में बढ़ाकर रुपये 5000 किया गया था। वर्तमान में सहायक क्षेत्रीय निदेशकों को भी क्षेत्रीय कार्यालयों पर ही भेजा गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्ययों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वीकृत इम्प्रेस्ट धनराशि को बढ़ाकर रुपये 8000 किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।*

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी.

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 20.14.06– क्षेत्रीय केंद्रों पर कार्यरत स्टाफ का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में विचार–

क्षेत्रीय केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ का मानदेय अंतिम बार वित्त समिति की पांचवीं बैठक के निर्णयानुसार दिनांक 01.07.2012 से बढ़ाया गया था। अतः इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

पदनाम	निर्धारित मानदेय (रुपये)
प्राचार्य	1800 प्रतिमाह
क्षेत्रीय निदेशक	7000 प्रतिमाह
अनुसेवक	700 प्रतिमाह

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से उक्त मानदेय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया।*

मद संख्या 20.14.07– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत वीडियो एडिटर एवं कैमरामैन के मानदेय/पारिश्रमिक में वृद्धि।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में EMPC विभाग में वर्तमान में कार्यरत वीडियो एडिटर एवं कैमरामैन को दिनांक 01.04.2024 से दिया जा रहा मानदेय निम्नानुसार है।

क्रमांक	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक (रुपये)
1	श्री हरीश गोयल	वीडियो एडिटर	30000
2	श्री विभु काण्डपाल	कैमरामैन	27000

EMPC विभाग शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल (ऑडियो–विजुअल) तैयार करता है। अब तक विभाग द्वारा विभिन्न विषयों के लगभग 1000 से अधिक वीडियो व्याख्यान तैयार कर विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्वयं पोर्टल पर 04 एवं स्वयंप्रभा पोर्टल पर 13 पाठ्यक्रमों के लिए 400 से अधिक वीडियो व्याख्यान तैयार किए जा चुके हैं। स्वयंप्रभा पोर्टल हेतु 07 अन्य पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाने हैं। ATI नैनीताल के लिए भी लगभग 40 से अधिक वीडियो व्याख्यान तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में अब तक आयोजित लगभग 250 से अधिक कार्यक्रमों में की गई वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी एवं एडिटिंग का प्रोडक्शन एवं प्रसारण भी विभाग द्वारा किया गया है। सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय के प्रचार–प्रसार में भी विभाग की महत्वपूर्ण

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

भूमिका है। उपरोक्त के दृष्टिगत वीडियो एडिटर एवं कैमरामैन के मानदेय/पारिश्रमिक में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से वीडियो एडिटर का मानदेय/पारिश्रमिक बढ़ाकर प्रतिमाह रुपए 34000 एवं कैमरामैन का मानदेय/पारिश्रमिक बढ़ाकर प्रतिमाह रुपए 31000 दिए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।*

मद संख्या 20.14.08–उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी परामर्शदाताओं के मानदेय/ पारिश्रमिक में वृद्धि।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कम्युनिटी एफ. एम. रेडियो "हैलो हल्द्वानी" में कार्यरत तकनीकी परामर्शदाताओं को दिनांक 01.04.2024 से दिया जा रहा मानदेय निम्नानुसार है।

क्रमांक	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक (रुपये)
1	श्री अनिल नैलवाल	तकनीकी परामर्शदाता (कम्युनिटी रेडियो)	21000
2	श्रीमती सुनीता भट्ट	तकनीकी परामर्शदाता (कम्युनिटी रेडियो)	21000

उक्त परामर्शदाताओं द्वारा रेडियो प्रोड्यूसिंग, अनाउंसिग, ऑडियो एडिटिंग, म्यूजिक कंपोजिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, विशेषज्ञों के साक्षात्कार लेना तथा फील्ड रिपोर्टिंग आदि कार्यों को संपादित करते हुए प्रतिदिन 06 घंटे की रेडियो सभा का संचालन एवं प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक रेडियो ऐप की शेड्यूलिंग भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय का सोशल मीडिया प्रबंधन भी इनके द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत तकनीकी परामर्शदाता (कम्युनिटी रेडियो) के मानदेय/पारिश्रमिक में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति ने सर्वसम्मति से तकनीकी परामर्शदाताओं (कम्युनिटी रेडियो) का मानदेय/ पारिश्रमिक बढ़ाकर प्रतिमाह रुपए 27000 किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।*

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

बैठक के अंत में सचिव, वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

सचिव, वित्त समिति

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

अध्यक्ष, वित्त समिति

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)